प्रेषक,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, रा0ग्रा0वि0 संस्थान, बी0के0टी0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. निदेशक, पंचायती राज, अलीगंज, लखनऊ।
6. निदेशक, बाल विकास, उ0प्र. इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 कल्याण भवन, लखनऊ।
8. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 बादशाह बाग, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
12. निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, इण्डस्ट्रियल एरिया, सरोजनी नगर, लखनऊ।
13. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः– / /आजीविका/एम0 एण्ड ई0/2018–19, लखनऊ दिनांकः–28 फरवरी, 2019

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर गठित उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की दिनांक 13 फरवरी, 2019 को आयोजित शासी निकाय की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–4732/1388/आजीविका/2018–19, लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2019 को अपरान्ह 03:30 बजे से कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में (ए0पी0सी0 सभाकक्ष में) आयोजित उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शासी निकाय की 15वीं बैठक में प्रतिभाग किया गया था।

उक्त बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

<u>संलग्नक : बैठक का कार्यवृत्त</u>

भवदीय,

(अनिल कुमार पाण्डेय)
संयुक्त मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांकः–4883/1388/आजीविका/एम0 एण्ड ई0/2018–19 उक्तदिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाइल।

संयुक्त मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

डॉ0 प्रभात कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसायटी की शासी निकाय की बैठक दिनांक 13.02.2019 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः—

सर्वश्री—

1. डॉ0 प्रभात कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
4. श्री0 प्रांजल यादव, मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
5. श्री मासूम अली सरवर, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
6. श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, एम0एस0एम0ई0, उ0प्र0।
7. श्री0 सोराज सिंह, निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।
8. श्री शत्रुध्न सिंह, निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0।
9. डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव, निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
10. डॉ0 डी0सी0 उपाध्याय, अपर निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
11. श्री आर0 शंकर नारायण, उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, उ0प्र0।
12. श्री के0के0 माथुर, मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, उ0प्र0।
13. ममता चौहान, फैकल्टी, आई0ई0डी0, यू0पी0।

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
1	विगत 14वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या का अनुमोदन।	शासी निकाय की 14वीं बैठक में समस्त बिन्दुओं पर लिये गये निर्णय का अनुपालन कर लिया गया है।	समिति अवगत हुई।
2	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन हेतु पॉवर प्वांइट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।	शासी निकाय द्वारा उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, निदेशक पंचायत, निदेशक कृषि एवं मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन की समिति गठित करतें हुये भविष्य के आवश्यकता अनुसार Need Based Special Projects उक्त समिति के अुनमोदनोपरान्त भविष्य की वार्षिक कार्ययोजनाओं में सम्मिलित करतें हुये अथवा पृथक से प्रेषित किये जाये।
3	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 14वीं शासी निकाय की बैठक में अनुमोदित जनपद बदांयू में ऑफिस ऑफ डेवलेपमेंट आयुक्त (हैंडीक्राफ्ट), वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से संचालित जरी–जरदोजी परियोजना के विस्तार हेतु	जनपद बदांयू में ऑफिस ऑफ डेवलेपमेंट कमिश्नर (हैंडीक्राफ्ट), वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से संचालित जरी–जरदोजी परियोजना के विस्तार हेतु एन0आई0एफ0टी0 से कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा 03 यंग प्रोफेशनल को चयनित करने हेतु 14वीं शासी निकाय में अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। एन0आई0एफ0टी0 के प्रतिनिधियों से हुयी वार्ता एवं मार्केट रेट्स को	शासी निकाय द्वारा सैद्धानतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करतें हुये, निर्देशित किया गया कि उक्त 03 यंग प्रोफेशनल का Job Description, Job Specification, Cost to UPSRLM आदि के साथ पत्रावली के माध्यम से प्रस्तुत किया जायें, साथ ही उक्त 03 यंग प्रोफेशनल का Job

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	एन0आई0एफ0टी0 से कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा चयनित 03 यंग प्रोफेशनल्स को प्रतिमाह दिये जाने वाली मानदेय का शासी निकाय से अनुमोदन।	देखते हुए रु0 50,000/- से रु0 60,000/- प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	Description, Job Specification, Cost to UPSRLM आदि शासी निकाय के समस्त सदस्यों को भी प्रेषित किया जायें।
4	36 नये राज्य रिसोर्स पर्सन (एस0आर0पी0) को सूचीबद्व करने एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को राज्य रिसोर्स पर्सन के रुप में सूचीबद्व करने हेतु अधिकतम शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने हेतु अनुमोदन।	मिशन की रिसोर्स पर्सन पालिसी का 12वीं शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन लिया गया था। उक्त के क्रम में 36 नये राज्य रिसोर्स पर्सन को मिशन की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग थीमों में नियमानुसार लिखित परीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर सूचीबद्व किया गया है। उक्त रिसोर्स पर्सन को रिसोर्स पर्सन मार्गदर्शिका के अनुसार मिशन की आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिवस मानदेय के आधार पर कार्य लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों हेतु उक्त राज्य रिसोर्स पर्सन के सूचीबद्व प्रक्रिया में अधिकतम शैक्षिक योग्यता (परास्नातक) में शिथिलता (स्नातक) प्रदान करने हेतु अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>05.1</u> <u>(A)</u>	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत प्रस्तावित नये इन्टेन्सिव विकासखण्डों एवं जनपदों में प्रस्तावित मानव संसाधन की व्यवस्था के सम्बन्ध में अनुमोदन एवं **अनुभव में शिथिलता** प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	• वित्तीय वर्ष 2019-20 में 187 विकास खण्ड इन्टेन्सिव रूप में भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या J-12037/01/2018-RL दिनांक 27 दिसम्बर 2018 द्वारा अनुमोदित किये गये है तथा पत्र संख्या J-12036/01/2018-RL दिनांक 10 दिसम्बर 2018 में 5 जनपदों के 16 विकास खण्डों को इन्टेन्सिव रूप में चिन्हित किया गया है। इस प्रकार कुल अतिरिक्त 13 जनपद के 203 विकास खण्ड इन्टेन्सिव रूप में चिन्हित किये गये है। • इन सभी विकास खण्डों में इन्टेन्सिव रूप में कार्य 01.04.2019 से प्रारम्भ किया जाना है, जिसके लिये मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त माह नवम्बर से दिसम्बर 2018 में सिड्स इण्डिया प्रा0 लि0 के माध्यम मे चयन प्रकिया प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें विकास खण्ड स्तर के **अन्य पिछड़ा वर्ग के 322 पद** एवं **अनुसूचित जाति के 264 पद** तथा **अनुसूचित जनजाति के 13 पद** एवं सामान्य श्रेणी के 142 पद कुल 741 पद रिक्त रह गये थे । • इन सभी पदों को मिलाकर कुल 1615 पदो की भर्ती प्रकिया इस आशय से प्रारम्भ की जा रही है, कि माह मार्च 2019 में सम्भावित	शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
		आचार संहिता के प्रभावी होने पर चयन प्रकिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। सिडस संस्था द्वारा मिशन हेतु रिकयूटमेन्ट के द्वितीय चरण में विकास खण्ड स्तरीय पदों हेतु मानव संसाधन नियमावली में वर्णित अनुभव के वर्ष जो कि 02 वर्ष है को कम कर 01 वर्ष किया गया है, जिससे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु0 जाति, अनु0 जनजाति की सीटों पर अन्य विकास खण्ड स्तरीय पदों को भरा जा सकें।	
05.1 (B)	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत प्रस्तावित नये इन्टेन्सिव विकासखण्डों हेतु की जा रही चयन प्रक्रिया में विकास खण्ड स्तर के पदों हेतु **साक्षात्कार प्रक्रिया** समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	• उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 20(4)का–2/2002, लखनऊ, दिनांक 21 जून 2003 के माध्यम से प्रदेश में सभी विभागों के समूह 'ग' स्तर की भर्तियों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त किये जाने का शासनादेश प्रख्यापित किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविक मिशन की विकास खण्ड स्तर के पद भी समूह 'ग' स्तर के ही पद है। • मिशन का विस्तार कालान्तर में प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में किया जाना है। विकास खण्ड स्तर के पदों पर चयन हेतु पूर्व में लिखित परीक्षा 01 दिवसीय फील्ड इमर्सन, ग्रुप डिस्कशन एवं साक्षात्कार प्रक्रिया की जाती रही है। जिससे कि चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने में अत्याधिक समय एवं व्यय भी अधिक होता है। • अतः शासन द्वारा समूह ग की भर्ती के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के क्रम में विकास खण्ड स्तर के पदों पर 01 दिवसीय फील्ड इमर्सन, ग्रुप डिस्कशन एवं साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।	शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
5.2	जनपदों में स्किल एण्ड जॉब के पद के नाम में परिवर्तन कर नॉन फार्म लाइवलीहुड किया जाने हेतु अनुमोदन।	• मिशन अन्तर्गत राज्य मुख्यालय, जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर स्किल एण्ड जॉब डोमेन में प्रोफेशनल्स की तैनाती की गयी है। चूँकि प्रदेश में अलग से स्किल मिशन कार्यरत है एवं उनके प्रोफेसनल्स जनपदों एवं विकास खण्डों में पदस्थ है। अतः राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत स्किल एण्ड जॉब के पदों पर कार्यरत स्टॉफ का पदनाम परिवर्तित कर राज्य स्तर के पद हेतु पद नाम स्टेट मिशन मैनेजर– नॉन फार्म, जनपद स्तर हेतु जिला मिशन प्रबन्धक– नॉन फार्म एवं विकास	शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
		खण्ड स्तर हेतु ब्लॉक मिशन प्रबन्धक–नॉन फार्म किया जाना प्रस्तावित है।	
6	मिशन के अन्तर्गत समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण / कार्यशाला / बैठक / रिसर्च स्टडी / अध्ययन हेतु ख्याति प्राप्त प्रोफेशनल / व्यक्ति को समय–समय पर आमंत्रित करने एवं उनके मानदेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव एवं निर्णय।	मिशन के अन्तर्गत समय–समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण / कार्यशाला / बैठक / रिसर्च स्टडी / अध्ययन हेतु ख्याति प्राप्त– प्रोफेशनल / व्यक्ति को समय–समय पर निम्न कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकता है:– • ORGANISATIONAL DEVELOPMENT PROCESS STUDY • MOTIVATIONAL LECTURE FOR PROFESSIONALS STAFF • SPECIAL TRAINING FOR PROFESSIONALS • TO FACILITATE THEME BASED STUDY • TO FACILITATE RESEARCH STUDY समय–समय पर मिशन निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से ख्याति प्राप्त व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिवस अधिकतम रु0 10,000/– की दर से मानदेय एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति दिया जा सकता है एवं ऐसे ख्याति प्राप्त प्रोफेशनल / व्यक्ति की अधिकतम मानव दिवस बीस (20) की सेवायें लिया जा सकता है एवं उपर्युक्त कार्य पर एक वित्तीय वर्ष में कुल 100 मानव दिवस की सेवाएं ही ली जा सकती है।	शासी निकाय द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिवस अधिकतम रु0 5,000/– की दर से मानदेय एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को विशिष्ट परिस्थितियों में मानदेय में Deviation करने हेतु अधिकृत किया गया।
7	जिला एवं राज्य मिशन प्रबंधन इकाई में कार्यरत प्रोफेशनल, उपायुक्त स्वतः रोजगार को रुचि / थीम के अनुसर ख्याति प्राप्त प्रबंधन संस्थान जैसे–आई0आई0एम0, इरमा एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में शॉर्ट टर्म कोर्स / ट्रेनिंग प्रोग्राम / एक्सपोजर विजिट में प्रतिभाग करने हेतु मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अधिकार देने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।	जिला एवं राज्य मिशन प्रबंधन इकाई में कार्यरत प्रोफेशनल, उपायुक्त स्वतः रोजगार को रुचि / थीम के अनुसार ख्याति प्राप्त प्रबंधन संस्थान जैसे–आई0आई0एम0, आई0आर0एम0ए0 आदि संस्थानों में शॉर्ट टर्म कोर्स / ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रतिभाग करने हेतु मिशन निदेशक महोदय अधिकृत है। मिशन निदेशक निम्न परिस्थितियों में उक्त प्रशिक्षण में नामित कर सकते हैं:– •किसी प्रोफेशनल / उपायुक्त के अच्छे कार्य संपादन के उपरान्त पुरस्कृत करने हेतु। •किसी विशेष परियोजना से जुड़े स्टॉफ / प्रोफेशनल विशेष कौशल / स्किल की प्राप्ति हेतु। •किसी प्रोफेशनल / उपायुक्त की रुचि के आधार पर उक्त सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रशिक्षण के उपरान्त उसके उपयोग एवं परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण के आधार पर	शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
		अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित संस्थान को फीस / प्रशिक्षण शुल्क राज्य मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा वहन किया जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 प्रतिभागियों को उक्त सम्बन्धित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित किया जा सकता है।	
8	वित्तीय वर्ष 2017–18 की वैधानिक वार्षिक ऑडिटेड बैंलेस शीट का अनुमोदन।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय वर्ष 2017–18 का वैधानिक ऑडिट में ओ0पी0 तूल्सियान सी0ए0 कम्पनी द्वारा किया गया है। तद्नुसार वैधानिक ऑडिटेड बैंलेस शीट शासी निकाय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य वित्त लेखाधिकारी एवं सम्बन्धित ऑडिटर द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी वित्तीय अनियमितता सन्दर्भित आपत्ति नही है। शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
9	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्यालय पर नयी भर्ती से तैनात 35 एवं आगामी माहों में लगभग 30–35 भर्ती होने वाले अतिरिक्त स्टॉफ, कुल लगभग 70 स्टॉफ के बैठने हेतु वर्तमान कार्यालय के ही भवन "एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर" में अतिरिक्त स्थान लगभग 3500 स्कवायर फिट किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में एवं उक्त में आवश्यक साज–सज्जा, विद्युत कार्य, फर्नीचर एवं उपकरण कार्य कराये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23–10–2018 के बिन्दु 23 में मिशन कार्यालय हेतु भूमि सुधार निगम के कार्यालय में किराये पर लिये जाने हेतु अतिरिक्त स्थान एवं आवश्यक कार्य फर्नीचर, उपकरण आदि एवं साज–सज्जा पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक एक्शन प्लान के अनुसार व्यय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है (संलग्नक–)। भूमि सुधार निगम, लखनऊ के कार्यालय में लगभग 5255 स्कवायर फिट किराये पर स्थान लिये जाने की कार्यवाही की जा रही थी (संलग्नक–)। भूमि सुधार निगम में किराये पर लिया जाने वाले स्थान किन्हीं कारणोंवश न मिलने के कारण की स्थिति में एल्डिको कार्पोरेट टॉवर में ही 2500 स्कवायर फिट अतिरिक्त स्थान लिये जाने हेतु शासन के माध्यम से प्रबन्ध कारिणी समिति के अध्यक्ष / कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा इस प्रस्ताव के साथ अनुमोदन प्राप्त किया गया है कि इसे आगामी शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। मिशन कार्यालय के विस्तार हेतु लिए जाने वाले स्थान एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, चतुर्थ तल यूनिट संख्याः 403 एवं 404 पर 2257 वर्ग फिट का कब्जा माह दिसम्बर, 2018 में भवन स्वामी से प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर आवश्यक कार्य फाल्स सीलिंग, साज सज्जा, क्यूबिकल्स एवं वर्क स्टेशन हेतु फर्नीचर, विधुत व्यवस्था, सी0सी0 टी0वी0 कैमरा, आन लाइन यू0पी0एस0 बिछाने एवं उपकरण आदि के कार्यो ,एयर कण्डीशन सिस्टम डक्ट एवं इण्टरकाम आदि कार्य नियमानुसार कराये जा रहे हैं। वर्तमान समय में मिशन कार्यालय में नेशनल रूरल	शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>इकॉनामिक ट्रान्सफार्मेशन प्रोजेक्ट तथा टेक्निकल सपोर्ट यूनिट एवं मुख्यालय पर लगभग 30 से 35 कर्मिकों के बैठने की व्यवस्था निर्धारित की जानी होगी, इस हेतु लगभग 2300 स्क्वायर फिट स्थान की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल लगभग 3500 स्क्वायर फिट किराये पर स्थान जिलाधिकारी, लखनऊ की सर्किल रेट रू0 40.00 प्रति स्क्वायर फिट प्रतिमाह की दर से लिया जाना है। किराये पर लिये जाने वाले अतिरिक्त स्थान का अनुबन्ध उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं भवन स्वामी के मध्य होने वाले एम0ओ0यू0 पूर्व निष्पादित एम0ओ0यू0 के नियम एवं शर्तों के अनुसार 06 वर्षों हेतु किया जाना प्रस्तावित है।
उपरोक्त के क्रम में एल्डिको कार्पोरेट टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर के भवन में कुल 3500 स्क्वायर फिट अतिरिक्त किराये पर स्थान रू0 40.00 प्रति स्क्वायर फिट प्रतिमाह की दर से तथा आवश्यक कार्य फाल्स सीलिंग, साज सज्जा, क्यूबिकल्स एवं वर्क स्टेशन हेतु फर्नीचर, विधुत व्यवस्था, सी0सी0 टी0वी0 कैमरा, आन लाइन यू0पी0एस0 बिछाने एवं उपकरण आदि के कार्य, एयर कण्डीशन सिस्टम डक्ट एवं इण्टरकाम आदि वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक एक्शन प्लान में उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कराये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत पूर्व से इन्टेन्सिव रुप में चयनित 17 जनपदों के 53 विकासखण्डों में एन0आर0ई0टी0पी0 (NRETP) परियोजना का क्रियान्वयन।</td><td>भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में मिशन में प्रथम चरण के विकासखण्डों में से कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विकासखण्डों में NRETP (National Rural Economic Transformation Project) कार्यक्रम संचालित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को प्रदेश के 17 जनपदों के 53 विकासखण्ड पूरा कर रहें हैं। भारत सरकार द्वारा NRETP कार्यक्रम हेतु उत्तर प्रदेश के लिए Tentative Budget Allocation इस प्रकार हैं:–
<table>
<tr><th>Central Share Rs. in Lakh</th><th>State Share Rs. in Lakh</th><th>Total Allocation Rs. in Lakh</th></tr>
<tr><td>4872.00</td><td>3248.00</td><td>8120.00</td></tr>
</table>
उपरोक्त बजट के क्रम में NRETP कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।</td><td>समिति अवगत हुई।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बॉदा, हमीरपुर, जालौन जनपद के 04–04 विकासखण्डों में दलहन एवं तिलहन</td><td>भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में मिशन द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर, जालौन जनपद के 04–04 विकासखण्डों में दलहन एवं</td><td>समिति अवगत हुई।</td></tr>
</table>

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	वैल्यू चैन डेवलेपमेंट हेतु स्पेशल प्रस्ताव।	तिलहन वैल्यू चैन डेवलेपमेंट हेतु स्पेशल प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। इस प्रस्ताव अन्तर्गत 03 जनपदों के 12 विकासखण्डों में दलहन एवं तिलहन के वैल्यू चैन में आगामी 03 वर्ष में 19250 महिला किसानों के साथ कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत रु0 10.75 करोड़ है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश है। इस परियोजना से 03 वर्षों में प्रति महिला किसान रु0 17,420 का मुनाफा होगा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 12 सितम्बर, 2018 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिया गया है। समिति के समक्ष सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत। (संलग्नक–)	
12	सिड्स संस्था द्वारा प्रोफेशनल्स हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध एच0आर0 मैनेजमेन्ट एजेंसी द्वारा एच0आर0 मैनेजमेन्ट करायें जाने का अनुमोदन।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत सिड्स संस्था द्वारा चयनित प्रोफेसनल्स का एच0आर0 मैनेजमेन्ट किया जाना है। उक्त के एच0आर0 मैनेजमेन्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा इम्पेलेन्ड पी0एस0यू0 क्रमशः अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, यूपीडेस्कों, यूपीएलसी एवं निक्सी से वित्तीय प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में मांगा गया है। उपरोक्त में से सबसे कम वित्तीय प्रस्ताव देने वाले पी0एस0यू0 से अनुबन्ध करने की कार्यवाही की जायेगी।	बिन्दु संख्या 12 एवं 13 पर एक साथ विचार किया गया, शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान करतें हुये निर्देशित किया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा इम्पेलेन्ड पी0एस0यू0 Reasonable दर पर कार्य करने हेतु अनुबन्धित हो जाती है, तो भविष्य में Open Bid के औचित्य पर पुनः विचार कर लिया जायें।
13	मिशन अन्तर्गत नयी मानव संसाधन प्रबन्धन एजेन्सी (Human Resource Management Agency) के चयन के सम्बन्ध में।	वर्तमान में मिशन में Human Resource Management Agency के रुप में वैप इन्फोसॉल्यूशन प्रा0लि0 कार्यरत है। वैप इन्फोसॉल्यूशन के साथ सम्पादित अनुबन्ध मार्च, 2019 में समाप्त हो रहा है। उक्त अनुबन्ध में कुल 691 प्रोफेशनल एवं अधिकतम रु0 10 करोड़, 90 लाख, 80 हजार मानदेय 01 वर्ष के लिए निर्धारित है, जो कि माह फरवरी में वेतन में अनुमन्य सीमा से अधिक हो जायेगा। तत्कालिता को देखते हुए जनशक्ति सेवा प्रदाता एजेन्सी के रुप में शासन द्वारा Empanneled Agency यू0पी0डेस्को, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स, अपट्रॉन पावरट्रानिक्स लिमिटेड, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड एवं निक्सी से दरें प्राप्त की गयी हैं। प्राप्त दरों में से न्यूनतम दर की सेवाप्रदाता एजेन्सी को 06 महीने के लिए सेवाप्रदाता एजेन्सी लिये जाने, जब तक कि Openbid प्रक्रिया के माध्यम से Human Resource Management Agency का चयन न कर लिया जाये। अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।	
14	**अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**		

क्र0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
बिन्दु –1	मानव संसाधन नियमावली में कतिपय बिन्दुओं पर अस्पष्टता के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को समिति गठित किये जाने हेतु अधिकृत कर आगामी शासी निकाय की बैठक में संस्तुतियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	मानव संसाधन नियमावली में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टता नहीं है, जैसे सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की निरन्तरता, सेवा समाप्ति प्रावधान, प्रोबेशन पीरियड हेतु अनुमन्यतायें, अनुभव के वर्षो के आधार पर वेतन निर्धारण, ट्रॉसफर पॉलिसी, परफॉर्मेन्स अप्रेजल आदि, के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं है। अतः प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को समिति गठित करने हेतु अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगामी शासी निकाय की बैठक में संस्तुतियों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।	शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन को समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया गया साथ ही निर्देशित किया गया कि आगामी शासी निकाय की बैठक में संस्तुतियों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

(डॉ0 प्रभात कुमार)
कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः– 4881/1388/आजीविका/2018–19 लखनऊ, दिनांकः 27 ,फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. समस्त सदस्य, शासी निकाय, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
4. गार्ड फाइल।

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)
मिशन निदेशक
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।